

बिहार सरकार  
(राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)  
भू-अर्जन प्रशाखा  
अधिघोषणा

संख्या : आर० पटना, दिनांक :  
चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि मौजा- वाजिदपुर उर्फ मझौली, थाना नं०-721, अंचल-बोचहाँ जिला-मुजफ्फरपुर में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् सम्पर्क सड़क निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त मौजा -- वाजिदपुर उर्फ मझौली, थाना नं०-721, अंचल-बोचहाँ के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम-- वेश X बीघा X कट्ठा X धूर X छटाँक है जो 0.0575 (पौने छः डिसमिल ) एकड़ के बराबर होता है, जिसका प्लॉट संख्या निम्नांकित है :-अंश खेसरा नं०- 1274, 1275, एवं 1278.


चौहद्दी

उत्तर पूर्ण खेसरा नं० 1262.  
दक्षिण - मुजफ्फरपुर-दरभंगा एन०एच० 57.  
पूरब - अंश खेसरा नं० 1274,1275 एवं 1278.  
पश्चिम - पूर्ण खेसरा नं० 1279, 1280 एवं 1283.


भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़नेवाली कोयला, लोहा-पत्थर, स्लैट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग, जिन्हे जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है, उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो, ले लिए जायेंगे।

यह घोषणा अधिनियम 1, 1894 यथा संशोधित अधिनियम 1984 की धारा-6 और अधिनियम 18, 1885 की धारा-3 के खंड (1) के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा भू-अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

  
(संतोष कुमार मल्ल)  
समाहर्ता  
मुजफ्फरपुर

बिहार राज्यपाल के आदेश से

  
सरकार के अवर सचिव  
बिहार, पटना।

- प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ (सी०डी० सहित) दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, समाहरणालय, मुजफ्फरपुर को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचना प्रेषित।
- प्रतिलिपि 4. समाहर्ता/अपर समाहर्ता तथा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 5. जिला अवर निबंधक मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 6. आई० टी० मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

0102  
21/3/13  
(नरोत्तम प्रसाद सिंह)  
सरकार के अवर सचिव।